राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	कानूराम / सरकार 1026/2017 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
28.12.17	पत्रावली प्रस्तुत हुई। उभयपक्ष उपस्थित। उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 08.01.18 को पेश हो।	
08/1/18	पत्रावली आदेश हेतु प्रस्तुत हुई। समयाभाव के कारण आज आदेश लिखाया नहीं जा सका। अतः पत्रावली वास्ते आदेश हेतु दिनांक 11/1/2018 को पेश हो।	
11/1/18	आज यह पत्रावली वास्ते आदेश हेतु प्रस्तुत हुई। यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चाकसू द्वारा पारित आदेश दिनांक 27/6/2017 के विरूद्ध प्रस्तुत हुई है। संक्षिप्त में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष तहसीलदार चाकसू द्वारा एक वाद मय प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत हुआ, जिसमें अंकित किया गया कि अप्रार्थी द्वारा उसके खाते में अंकित काश्तभूमि का आवासीय कार्य हेतु प्रयोग कर अवैध उपयोग किया जा रहा है तथा उपपंजीयक कार्यालय में प्लाटो का विक्रय पत्र पंजीबद्ध करवा दिया जाता है तथा छोटे प्लाटे के विक्रय पत्रो के नामान्तकरण राज्य सरकार के निर्देशानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन नही किया जाता है ऐसे विक्रय पत्रो से आमजनता को बाधाएं एवं असुविधाये उत्पन्न होती है जो कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के विपरीत है। अतः बिना	

राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर

सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के कृषि से भिन्न प्रयोजन उपयोग करने के कारण सम्बन्ध रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा से अप्रार्थीगण को पाबन्द किया जावे। जिस पर दिनांक 07/11/2016 को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई तत्पश्चात दिनांक 27/6/2017 को कैम्प कोर्ट गिरधारीलालपुरा मे प्रकरण को लेकर प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया गया, जिसके विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत हुई।

बहस मे अभिभाषक अपीलार्थी द्वारा मात्र यही आपत्ति उठाई गई कि अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष उन्हे अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर नही मिला। बहस के दौरान इस विषय पर कोई बहस नही की गई की अपीलार्थी द्वारा उसके खाते की आराजीयात को कृषि उपयोग किया जा रहा है कि नहीं, जबकी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा मात्र यथास्थिति कायम रखने का आदेश दिया गया है जिसमे कोई त्रुटी प्रतीत नही होने से अपील अपीलार्थी खारिज की जाकर आदेश जेर अपील यथावत रखा जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 11/1/2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।